तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम व हुक्म की तामील जारी हुआ / तारीख हुक्म
12/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। DR रिपोर्ट प्राप्त शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण के बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य देखने से यह प्रकट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामिलात खातेदारी कृषि भूमि नई उन्डी प०ह० खुडाला तहसील गुढामालानी में स्थित ख.न. 121/4 रकबा 1.5701, ख.नं. 65 रकबा 0.0486, ख.नं. 66/1 रकबा 5.4632, ख.नं. 121/5 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किता कुल रकबा। का.डे., गै.मु. खाली, बा.डो., गै.मु. वाणिज्यिक में प्रकाशित है पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के नाम। की फौतगी होने के वादीगण ने उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के भाग खातेदारी घोषणा का यह वाद धारा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. सपठित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया है।	
	वादीगण के वाद पत्र के सम्बन्ध में प्रतिवादी 1 स्वयं उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर खातेदार घोषित किये जाने की सहमति दी। चूंकि प्रतिवादी नं. 1 की फौतगी होने व प्रतिवादी नं. 1 के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं. 2 कृषि धारक तहसीलदार गुढामालानी से जांच रिपोर्ट क्रमांक 1180 दि० 12/[illegible] प्राप्त कर वादीगण को [illegible] विधिक वारिसान ([illegible]) प्रकट किया, विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 की फौतगी होने	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुडामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
	की फ्रविट भी चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है तथा विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को खरीदशुदा से प्राप्त हुई है इसलिए वादीगण का उक्त आराजी में जन्म से ही हक अधिकार निहित हो चुके है तथा प्रतिवादी सं. 1 स्वैच्छ ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर खातेदार घोषित किये जाने की लिखित ब्यान दर्ज करवाए है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है परन्तु ख-नं. 121/5 रकबा 0.0405 हैक्टयर भूमि भी किस्म गै.मु. आबादी होने से इस भूमि के सम्बन्ध में फैसले का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को हो गया। वाद वादीगण आंशिक रूप से आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर ग्राम नई उन्दरी के खेत ख-नं. 121/4, 65, 66/1 रकबा क्रमशः 1.5702, 0.0486, 5.4632 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टियां की जावे। डिक्री [illegible] जारी की जावे। पत्रावली नियमानुसार [illegible] हो लिखित [illegible] 12/07/22 को खुले न्यायालय में [illegible] इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलास **श्री प्रमोद कुमार** आर.ए.एस.

वादीगण

1. जोगाराम पुत्र विरधाराम
2. भीखाराम पुत्र विरधाराम
3. जगमालराम पुत्र विरधाराम

जाति रबारी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. विरधाराम पुत्र समेलाराम
   जाति रबारी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा

मुकदमा नम्बर :– 58 / 2022

निर्णय दिनांक :– 12.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व ... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम नई उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 121 / 4 रकबा 1.5702 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.0486 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 66 / 1 रकबा 5.4632 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/7/22 को जारी की गई।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी

क्रमांकः वाद / 2022 / 818
प्रतिलिपि : पालनार्थ।

1. तहसीलदार गुड़ामालानी।

दिनांक : 21/7/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी